

17

long time because of non completion of ACRs. It is, therefore, requested that existing instructions regarding writing of ACRs should be strictly complied with and a certificate is recorded to this effect. Further, it has been decided that in cases of delinquent officers who fail to record ACRs within the stipulated period suitable action may be taken against them for the delay. A report about finalisation of the ACR of the officers/officials within the stipulated period alongwith the names of officers with whom these are lying and since when may be sent to Government by 30-6-93 for the information of Chief Minister.

Yours faithfully,

Sd/

Deputy Secretary General Administration
for Chief Secretary to Government, Haryana

A copy each is forwarded to :—

- (i) All the Financial Commissioners, Haryana;
- (ii) All the Administrative Secretaries to Government Haryana.

for information and necessary action.

Sd/-

Deputy Secretary, General Administration
for Chief Secretary to Government, Haryana.

To

- (i) All the Financial Commissioners, Haryana;
- (ii) All the Administrative Secretaries to Government, Haryana.

U.O. No. 60/1/93-S(1). Dated Chandigarh, the 29th April, 1993.

A copy each is forwarded to the Principal Secretary/Special Principal Secretary/Deputy Principal Secretary/Officer on Special Duty/Secretaries/Private Secretaries to the Chief Minister/Ministers/State Ministers/Chief Parliamentary Secretary/Parliamentary Secretary for the information of Chief Minister/Ministers/State Ministers/Chief Parliamentary Secretary/Parliamentary Secretary.

Sd/-

Deputy Secretary, General Administration
for Chief Secretary to Government, Haryana

To

The Principal Secretary, Spl. Principal Secretary/Dy. Principal Secretary/Officers on Special Duty/Secretaries/Private Secretaries to the Chief Minister/Ministers/State Ministers/Chief Parliamentary Secretary/Parliamentary Secretary.

U.O. No. 60/1/93-S(1), Dated Chandigarh, the 29th April, 1993.

क्रमांक 60/2,93-एस (1)

प्रेषक

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार

सेवा में

1. आवकारी एवं कर्माधीन आमुक्त, हरियाणा ।
2. निदेशक ग्राम तथा नगर आयोजना, हरियाणा ।
3. श्रम आयुक्त, हरियाणा ।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण (जन स्वास्थ्य), हरियाणा ।
5. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त तथा अतिरिक्त उपायुक्त

दिनांक चण्डीगढ़, 12 जुलाई, 1993।

विषय :—Single Window Service/Agency के सदस्य अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिरिक्त उपायुक्त द्वारा टिप्पणी दिये जाने बारे ।

बनाने के लिये यह निर्णय लिया गया है कि Single Window Service/Agency के सदस्य अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में अतिरिक्त उपायुक्त निम्नलिखित बिन्दु बारे अपनी टिप्पणी देंगे :—

“Single Window Service/Agency से सम्बन्धित कार्य में सहयोग”

इन अधिकारियों की रिपोर्ट उनके Reporting Authority द्वारा initiate किये जाने के पश्चात् अतिरिक्त उपायुक्त भेजी जाया करे तदपश्चात् अतिरिक्त उपायुक्त निर्धारित पहलु पर अपने रिमाकर्स रिकार्ड करने उपरान्त सम्बन्धित विभाग के reviewing authority के पास भेजेगें। अतः अनुरोध है कि सम्बन्धित विभाग कृपया Single Window Service/Agency के सदस्य अधिकारियों के गोपनीय रिपोर्ट फार्मों में उक्त कालम बनाएं तथा यह भी निर्दिष्ट किया जाये कि उस रिपोर्ट को लिखने के लिये अगली reviewing Authority कौन है ताकि अतिरिक्त उपायुक्त को रिपोर्ट ठीक अधिकारी के पास भेजने में दिक्कत न हो।

2. यह निर्णय वर्ष 1893-94 के लिये लिखी जाने वाली रिपोर्टों से लागू माना जायेगा।

भवदीय,

हस्ता/-

अवर सचिव सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव हरियाणा सरकार।

पृ० क्रमांक 60/2/93-एस (1)

दिनांक चण्डीगढ़ 12 जुलाई, 1993

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. चेयरमैन, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, पंचकुला।
2. निदेशक प्रबन्धक, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, चण्डीगढ़।
3. निदेशक प्रबन्धक, हरियाणा वित्तीय निगम।
4. निदेशक प्रबन्धक, हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम, चण्डीगढ़।
5. मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, मनीमाजरा (यू०टी०) चण्डीगढ़।
6. चेयरमैन, जल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हरियाणा चण्डीगढ़।
7. निदेशक प्रबन्धक, हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम।
8. मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य खादी बोर्ड, पंचकुला।

2. उनसे अनुरोध है कि Single Window Service/Agency के सदस्यों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में निर्धारित कालम add करवाएं ताकि अतिरिक्त उपायुक्तों द्वारा इस बारे अपनी टिप्पणी दी जा सके।

हस्ता/-

अवर सचिव सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव हरियाणा सरकार।

एक प्रति आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

हस्ता/-

अवर सचिव सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव हरियाणा सरकार।

सेवा में

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग विभाग।

अशा : क्रमांक 60/2/93-एस (1)

दिनांक चण्डीगढ़ 12 जुलाई, 1993